न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)।

वाद सं. 147/2023-24

तिलिया देवी -बनाम- गणेश यादव वगै.

(द.प्र.सं. की धारा 144)

आदेश क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3
06.05.2024	(see below)	

06.05.2024

अभिलेख उपस्थापित। यह वाद प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दायर दं. प्र.सं. की धारा 144 के तहत आवेदन के आलोक में थाना प्रभारी, खुखरा के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पंजीकृत करते हुए प्रारम्भ की गई। उभय पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्नलिखित वादगत भूमि(आवासीय परिसर को छोड़कर) को दं.प्र.सं. की धारा 144 के तहत नोटिस निर्गत कर उभय पक्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया।

-: विवादित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना नं	खाता नं.	प्लॉट नं.	रकवा
तुईयो	123	38	30	47.5 डि0

निर्गत नोटिस के आलोक में उभय पक्ष इस न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उभय पक्ष के द्वारा कारणपृच्छा दाखिल किया गया।

इस वाद में अंकित वादगत भूमि के संदर्भ में थाना प्रभारी, खुखरा के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष के द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसके कारण प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है।

---- विवेचना एवं आदेश ----

इस वाद में प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित आवेदन एवं सलग्न दस्तावेज, कारणपृच्छा तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित कारणपृच्छा एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि रैयति प्रकार की भूमि है, जो कि प्रथम पक्ष को निबंधित दस्तावेज के माध्यम से प्राप्त है। जबकि द्वितीय पक्ष के द्वारा उक्त भूमि के मध्ये 09 डि0 भूमि क्रय करने हेतु सादा कागज पर एकरारनामा किया गया है, जिसके आधार पर द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। द्वितीय पक्ष का कथन है कि उनके द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का राशि मो0 45,000/- रू0 का भुगतान किया गया है परन्तु जमीन का केवाला नहीं कर रहे है। द्वितीय पक्ष के द्वारा राशि वापस करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबंध में यह प्रतीत होता है कि यह मामला उभय पक्षों के बीच भूमि क्रय विक्रय करने से संबंधित है। बिना वैध दस्तावेज के द्वितीय पक्ष के द्वारा भूमि पर दावा किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

दं.प्र.सं. की धारा 144 की उपधारा 4 के तहत आज इस वाद में सुनवाई की अंतिम तिथि है अतएव प्रथम पक्ष के आवेदन एवं थाना प्रभारी खुखरा के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संचालित इस वाद की सुनवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

न्यायालय सहायक आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध कराऐं तथा RCMS Jharkhand Portal पर अपलोड करें।

Digitally signed by MOHAMMAD SHAHJAD PERWEZ
Date: 2024.07.25 18:02:32 +05:30
Location: 192.168.144.188

लेखापित एवं सशोधित,

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
डुमरी।